

समक्ष एस. एस. संधावालिया, सी.जे. और एस. एस. दीवान, जे

बिड़ला कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड आदि—

याचिकाकर्ताओं

बनाम

हरियाणा राज्य आदि

उत्तरदाताओं

सिविल रिट याचिका सं. 1976 का 1648

9 अगस्त, 1978

हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम (1973 का 20) - धारा 1 (3) और 2 (सी) - पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित 'डीलर' की परिभाषा - पहले से मौजूद कानून के तहत कर योग्य नहीं होने वाली वस्तुओं को कर योग्य बनाया गया है - इस तरह की पुनरावलोकन - क्या संवैधानिक - कर विधियों के प्रावधानों के प्रति पुनरावलोकन - क्या केवल अस्पष्टताओं को दूर करने या कमियों को भरने के लिए अनुमति है - पुनरावलोकन की अवधि की लंबाई - क्या इसकी संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक है।

निर्धारित किया गया कि हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 की धारा 2 (सी) में 'डीलर' की परिभाषा को दी गई पुनरावलोकन प्रभावी करने और यह स्पष्ट करने का एक प्रयास था कि विधायिका के अनुसार, वस्तुओं पर कर लगाने में इसका वास्तविक इरादा क्या था, जो वह निस्संदेह करने का हकदार था। इसलिए, कानून का उद्देश्य कानून में अस्पष्टता और इसके प्रावधानों की व्याख्या करने में अधिकारियों के कुछ संघर्ष द्वारा पैदा किए गए संदेहों को दूर करना और उन कमियों को दूर करना था, जिनके तहत वस्तुएं, जो विधायिका के अनुसार बिक्री कर या खरीद कर के लिए उत्तरदायी थीं, उक्त व्याख्या के कारण दायरे से बाहर हो गई थीं। दूसरे शब्दों में, पुनरावलोकन मुख्य रूप से विधायिका की नजर में व्याख्या द्वारा कानून में पैदा की गई अस्पष्टता को दूर करने और कमियों को दूर करने और उन कमियों को दूर करने के लिए दिया गया था, जिन्होंने इसके अनुसार, माल की कर योग्य वस्तुओं को राजस्व शुल्क से बचने की अनुमति दी थी। इन परिसरों में धारा 2 (सी) में 'डीलर' की परिभाषा का पूर्वव्यापी संचालन "छोटी मरम्मत" के नियम के भीतर है और इस प्रकार समान रूप से संवैधानिकता के दायरे में है।

(पैरा 14)

निर्धारित किया गया, कि पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ कर की पूरी तरह से नई वसूली भी पूरी तरह से विधायिका की क्षमता के भीतर है। ऐसा होने पर, जब विधायिका डीलर की परिभाषा को भावी प्रभाव से संशोधित करने के लिए सक्षम होती है, तो वह *इस शर्त का पालन करती है* कि वह पूर्वव्यापी रूप से समान क्षमता के साथ ऐसा कर सकती है।

(पैरा 15)

बिड़ला कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड आदि बनाम
हरियाणा राज्य आदि (एस एस संधावालिया, सीजे)

बंगाल पेपर मिल कंपनी लिमिटेड और एक अन्य वी। वाणिज्यिक कर अधिकारी,
कलकत्ता और अन्य, 38 बिक्री कर मामले 163 - से असहमति जताई.

निर्धारित किया गया कि पूर्वव्यापी संचालन की अवधि की लंबाई, चाहे वह छोटी हो या
लंबी, यहां तक कि एक दशक से आगे भी असंवैधानिकता को आकर्षित नहीं करती है।
(पैरा 20)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि
सर्टियोरती की रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश निम्नलिखित प्रभाव से
जारी किया जाए: -

- i. मामले के रिकॉर्ड भेजे जा सकते हैं;
- ii. कर निर्धारण प्राधिकारी के दिनांक 18 दिसंबर, 1975 के आदेश को अनुलग्नक
पी/1 रद्द किया जाए;
- iii. नोटिस अनुलग्नक पी/3 जिसके द्वारा जुर्माने के संबंध में आगे की कार्यवाही की
धमकी दी गई है, को भी रद्द किया जाए;
- iv. याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी जाए और प्रतिवादियों को उच्च
न्यायालय द्वारा रिट याचिका के निपटान तक याचिकाकर्ताओं से कर और
जुर्माना वसूलने से रोका जाए;
- v. (v) प्रतिवादियों को नोटिस अनुलग्नक पी/3 के साथ कार्यवाही करने से रोकने
के लिए अंतरिम आदेश जारी करना;
- vi. प्रस्तुत नोटिस की सेवा को समाप्त करना क्योंकि प्रतिवादियों को प्रस्तुत नोटिस
देने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, जिन्होंने भुगतान करने की अंतिम तिथि 29
मार्च, 1976 निर्धारित की है।
- vii. दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के उत्पादन को समाप्त करने के लिए अनुलग्नक के
पी/एल से पी/4 तक।

आगे यह प्रार्थना की जाती है कि याचिका की लागत भी याचिकाकर्ताओं को दी जाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच एल सिब्बल, आर सी डोगरा और जी एस
चावला, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए आई एस सी मोहनता, ए जी के साथ नौबत सिंह, सीनियर डीएजी।

एस.एस. संधावालिया, सी.जे.

1. 15 संबंधित रिट याचिकाओं के इस सेट में उठाया गया प्राथमिक और वास्तव में
एकमात्र प्रश्न यह है कि -

क्या हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 की धारा 2 (सी) में 7 सितंबर,
1955 से "डीलर" की परिभाषा को दिया गया पूर्वव्यापी प्रभाव, इसकी धारा 1 की उप-
धारा (3) के पहले खंड के आधार पर असंवैधानिकता से ग्रस्त है?

2. पक्षकारों के विद्वान वकील इस बात से सहमत हैं कि कानून और तथ्य के प्रश्न समान हैं और यह निर्णय सभी 15 रिट याचिकाओं को नियंत्रित करेगा। जैसा कि स्पष्ट है, उपरोक्त प्रश्न पूरी तरह से कानूनी है और इसलिए, उन तथ्यों की स्पष्ट रूपरेखा का विज्ञापन करना भी अनावश्यक होगा, जो हालांकि, किसी भी रिट याचिका में गंभीर विवाद में नहीं हैं। इसलिए, यह 1976 की सिविल रिट याचिका संख्या 1645 में तथ्यों को उजागर करने के लिए पर्याप्त है जिसमें मुख्य तर्कों को संबोधित किया गया है।

3. मेसर्स बिड़ला कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड और एक अन्य, याचिकाकर्ता, मुख्य रूप से कॉटन स्पिनिंग और वीविंग मिल्स में कपड़े और धागे के निर्माण का व्यवसाय करते हैं और कई कपास-जिनिंग और प्रेसिंग कारखानों का भी संचालन करते हैं। याचिकाकर्ता अधिनियम के तहत पंजीकृत डीलर हैं। पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम और रिट याचिका मुख्य रूप से याचिकाकर्ता नंबर 2 के खिलाफ किए गए बिक्री-कर मूल्यांकन के खिलाफ निर्देशित की गई थी। कर निर्धारण प्राधिकारी, हिसार ने 18 दिसम्बर, 1975 के अपने आदेश अनुलग्नक पी-1 द्वारा याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कर की कुल राशि दो लाख रुपये से कुछ अधिक आंकी और पहले से जमा कर को ध्यान में रखते हुए शेष राशि के लिए मांग नोटिस जारी किया था।

4. रिट याचिका में, शुरू में दो सवाल उठाए गए थे, पहला हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 की धारा 17 के साथ पढ़ी गई अनुसूची "डी" की संवैधानिकता के संबंध में था। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकील ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि यह सवाल अब **मेसर्स रतन दास मदन लाल बनाम राज्य**¹ मामले में हाल ही में डिवाजन बेंच के फैसले से पूरी तरह से उनके खिलाफ कवर किया गया है। इसलिए, इस मुद्दे पर किसी भी तर्क को संबोधित नहीं किया गया है। उपरोक्त निर्णय के बाद, हम तदनुसार अधिनियम की अनुसूची "डी" की संवैधानिकता को बरकरार रखते हैं।

5. इसलिए, एकमात्र मुद्दा जो अब बचा हुआ है, वह इस फैसले के उद्घाटन में तैयार किया गया है। इस संदर्भ में उठाए गए विवादों की सराहना करने के लिए, सबसे पहले हरियाणा राज्य के भीतर बिक्री-कर कानून में डीलर की परिभाषा के संबंध में विधायी संशोधनों के द्रव्यमान को सरसरी तौर पर देखना आवश्यक है। वर्तमान अधिनियम का पूर्ववर्ती कानून पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 था। 1 नवम्बर, 1966 को हरियाणा राज्य के गठन पर, उक्त अधिनियम को हरियाणा राज्य में भी लागू किया गया था। उस समय, "डीलर" को धारा 2 (डी) के तहत निम्नानुसार परिभाषित किया गया था: -

"डीलर" का अर्थ सरकार के विभाग सहित किसी भी व्यक्ति से है जो सामान्य व्यापार में पंजाब राज्य में उपभोग के उद्देश्य से वास्तव में वितरित किए गए किसी भी सामान को बेचता है, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि ऐसे व्यक्ति के व्यवसाय का मुख्य स्थान उक्त राज्य के बाहर है और जहां ऐसे किसी व्यक्ति के व्यवसाय का मुख्य स्थान उक्त राज्य में नहीं है, 'डीलर' में ऐसे व्यवसाय के संबंध में पंजाब में ऐसे व्यक्ति का स्थानीय प्रबंधक या एजेंट शामिल है।

हालांकि, हरियाणा राज्य ने 26 मई, 1971 से 1971 के हरियाणा अध्यादेश संख्या 2 द्वारा उपरोक्त परिभाषा में संशोधन किया, जिसके तहत "जो वास्तव में उपभोग के उद्देश्य से दिए गए हैं" शब्दों को उपरोक्त परिभाषा से हटा दिया गया था। फिर हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) का पालन किया गया, जिसने

¹ 1974 के CW 612 पर 1-8-1978 को निर्णय लिया गया

बिड़ला कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड आदि बनाम
हरियाणा राज्य आदि (एस एस संघावालिया, सीजे)

हरियाणा पर लागू पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम को पूरी तरह से निरस्त कर दिया और यहां "डीलर" को धारा 2 (सी) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया था: –

"डीलर" का अर्थ सरकार के एक विभाग सहित कोई भी व्यक्ति है, जो व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में, चाहे लाभ के उद्देश्य के साथ या बिना, प्रत्यक्ष या अन्यथा, चाहे नकद, आस्थगित भुगतान, कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान विचार के लिए राज्य में किसी भी सामान की खरीद, बिक्री, आपूर्ति या वितरण करता है, या राज्य से बाहर आयात या निर्यात करता है, कोई भी वस्तु, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि ऐसे व्यक्ति के व्यवसाय का मुख्य स्थान राज्य के बाहर है और जहां ऐसे व्यक्ति के व्यवसाय का मुख्य स्थान राज्य में नहीं है, ऐसे व्यवसाय के संबंध में राज्य में ऐसे व्यक्ति का स्थानीय प्रबंधक या एजेंट शामिल है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि इस परिभाषा ने पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 2 (डी) में निहित परिभाषा को अपनाया, जैसा कि 26 मई, 1971 से 1971 के हरियाणा अध्यादेश संख्या 2 द्वारा संशोधित किया गया था, और हरियाणा राज्य पर लागू किया गया था। अधिनियम की धारा 1 में प्रासंगिक मद द्वारा, धारा 2 (सी) के तहत "डीलर" की पूर्व-उद्धृत परिभाषा को 7 सितंबर, 1955 से पूर्वव्यापी बना दिया गया है।

6. शायद अकादमिक हित के लिए, यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि 1976 के व्यापक हरियाणा अधिनियम संख्या 9 और 1976 के हरियाणा अधिनियम संख्या 44 में भी बाद में संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों द्वारा पेश किए गए परिवर्तनों का विस्तृत संदर्भ अनावश्यक है क्योंकि वकील इस बात से सहमत हैं कि ये संशोधन स्थिति के प्रति आकर्षित नहीं हैं क्योंकि वे पूर्वव्यापी नहीं हैं और हमले के तहत प्रासंगिक आकलन नहीं हैं; वर्ष 1973 से पहले और उस पर लागू वैधानिक प्रावधान केवल हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के हैं, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था।

7. अब, प्रत्येक प्रावधान की भाषा की पेचीदगियों के साथ-साथ 'डीलर' शब्द की परिभाषा में पेश किए गए विभिन्न संशोधनों पर विचार किए बिना, पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 2 (डी) के तहत कानून का व्यापक स्वीप और हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 2 (सी) के उत्तराधिकारी प्रावधान, अर्थात्, 1973 पर ध्यान दिया जा सकता है। वकील स्वयं स्वीकार करते हैं कि यहां जो सरल स्थिति उभरती है वह यह है कि हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के अधिनियमन से पहले, और धारा 2 (सी) को दी गई पुनरावलोकन के परिणामस्वरूप, पिछले कानून के तहत एक 'डीलर', जो खरीद के बाद, उसी माल को हरियाणा राज्य से बाहर निर्यात करता था, कर के लिए उत्तरदायी नहीं था। इसलिए, पूर्वव्यापी प्रावधान का प्रभाव यह है कि वे वस्तुएं जो पहले "जो वास्तव में उपभोग के उद्देश्य से वितरित की जाती हैं" शब्दों के अस्तित्व के आधार पर कर योग्य नहीं थीं, अब डीलर की संशोधित परिभाषा को दिए गए पूर्वव्यापी प्रभाव के आधार पर कर के लिए उत्तरदायी हो गई हैं।

8. विवाद के क्षेत्र को कम करने के लिए, अब यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वकील ने बिना किसी अपवाद के स्वीकार किया कि विधायिका सक्षम थी और बिक्री कर अधिनियम में डीलर की परिभाषा में संशोधन करने के लिए पूरी तरह से हकदार थी। यह स्वीकार किया जाता है कि वस्तुओं के निर्यात या राज्य के भीतर इसकी खपत के तरीके या तरीके के संबंध में बिना किसी शर्त के वस्तुओं पर कर लगाना उसकी शक्तियों के दायरे में था। ऐसा होने पर, निर्णय के लिए एकमात्र मुद्दा यह है: क्या हरियाणा विधानमंडल धारा 2 (सी) के तहत 'डीलर' की परिभाषा को रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव के साथ संशोधित कर सकता है ताकि उन वस्तुओं को कर योग्य बनाया जा सके जो पहले से मौजूद कानून के तहत करारधान के दायरे

में नहीं थे?

9. यद्यपि वस्तुओं पर पूर्वव्यापी रूप से कर लगाने के कठोर और अनुचित बोझ पर हमें लंबे और वाक्पटु तर्क दिए गए थे, जो उनकी वास्तविक बिक्री या खरीद के समय कर के लिए इतने योग्य नहीं थे, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जहां तक इस न्यायालय का संबंध है, यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के उनके प्रभुत्व के बाध्यकारी उदाहरणों द्वारा इतनी अच्छी तरह से कवर किया गया है कि यह व्यर्थ से भी बदतर होगा। इन विवादों की जांच करना शुरू करें जैसे कि मुद्दा *इंटेंग्रा* या पहली छाप में से एक था। इसलिए, याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए तर्कों पर ध्यान देना और उन्हें अंतिम न्यायालय की श्रेणीबद्ध टिप्पणियों के रूप में हमें जो प्रतीत होता है, उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

10 श्री सिब्बल का पहला और प्राथमिक तर्क यह था कि कम से कम जहां तक कर संबंधी संविधियों का संबंध है, उपबंधों की पुनरावलोकन केवल इस सीमित सीमा तक ही की जा सकती है कि या तो पूर्व के विधान में अस्पष्टता को दूर किया जाए या ऐसी कमी का प्रावधान किया जाए जो संविधि में ध्यान में आए। इसे एक अमेरिकी लेखक की सुरम्य भाषा में कहें, तो विधायिका, उनके अनुसार, पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ संशोधन या मान्य अधिनियम के माध्यम से केवल "छोटी मरम्मत" करने का हकदार था। इस रुख के अनुसार, विधायिका में पूरी तरह से नए सिरे से लेवी और कर लगाने की कोई शक्ति नहीं थी, जो संबंधित समय में कानून के तहत नहीं था। **कृष्णमूर्ति एंड को. बनाम मद्रास राज्य और अन्य**,² मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बोलते हुए खन्ना जे की टिप्पणियों पर विद्वान वकील द्वारा रिलायंस को रखा गया था। तथापि, श्री सिब्बल द्वारा जिस मुख्य मामले पर भरोसा किया गया वह **बंगाल पेपर मिल कंपनी लिमिटेड और एक और बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, कलकत्ता, और अन्य**³ के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय का खंडपीठ का निर्णय था। बाद के फैसले में पश्चिम बंगाल करानान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1969 में "व्यवसाय" शब्द की परिभाषा के पूर्वव्यापी संचालन को रद्द कर दिया गया, श्री सिब्बल द्वारा उठाए गए तर्कों का समर्थन करता है।

11. प्रारंभ में, मैं यह कह सकता हूँ कि बाध्यकारी दृष्टान्तों का महत्व मुझे इस तर्क से सहमत होने में सक्षम नहीं बनाता है कि पूर्वव्यापी रूप से कर लगाने के लिए विधायिका की योग्यता केवल अस्पष्टताओं, कमियों को दूर करने या केवल परिणामी संशोधनों या अधिनियमों को मान्य करके करानान कानून में खामियों को दूर करने तक सीमित है। हालांकि, इससे पहले कि मैं मामले के इस पहलू पर बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के तर्क को स्वीकार करते हुए भी, वे शायद ही सफल हो सकते हैं क्योंकि यहां संशोधनों की पृष्ठभूमि इस तथ्य की ओर एक स्पष्ट संकेत है कि हरियाणा विधानमंडल किसी भी मामले में उन अस्पष्टताओं को स्पष्ट करने और निपटाने का प्रयास कर रहा था जो या तो पहले से मौजूद थीं या व्याख्याओं का परिणामी प्रभाव थीं। उस पर कई निर्णयों द्वारा प्रस्तुत किया गया। वास्तव में, इसलिए, यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि हरियाणा विधानमंडल डीलर की परिभाषा को पुनरावलोकन देकर और उसके संबंध में कानून को स्पष्ट और निपटाने के लिए केवल कानून की छोटी मरम्मत कर रहा था।

12. हरियाणा के एडवोकेट जनरल श्री एस. सी. मोहंता ने ठीक ही कहा है कि पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 2 (डी) के असंशोधित प्रावधानों के संबंध में भी, हरियाणा कर न्यायाधिकरण द्वारा रखी गई व्याख्या यह थी कि राज्य से निर्यात किए गए सामानों के संबंध में करदाता कर के लिए उत्तरदायी थे। और विशेष रूप से याचिकाकर्ताओं के मामले से भी संबंधित है, कपास के संबंध में जो उनके द्वारा खरीदा गया था, राज्य के भीतर काटा और

² 31 बिक्री कर के मामले 190

³ 38 बिक्री कर मामले 163

बिड़ला कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड आदि बनाम
हरियाणा राज्य आदि (एस एस संधावालिया, सीजे)

काटा गया था और उसके बाद निर्यात किया गया था। हालांकि, कर अधिकारियों द्वारा कानून की इस व्याख्या और आवेदन को इस न्यायालय का समर्थन नहीं मिला और **उषा कॉटन जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री भुचो बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य**,⁴ में एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने विचार किया कि राज्य से बाहर भेजे गए सामानों के लिए कोई कर नहीं लगाया गया था और परिणामस्वरूप चुनौती दिए गए मूल्यांकन आदेशों को रद्द कर दिया गया था। आगे यह राय दी गई कि डीलर की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, यह है। प्रत्येक लेनदेन के संबंध में यह पता लगाया जाना चाहिए कि करदाता डीलर था या नहीं और वह केवल तभी कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जब वह पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 2 (डी) में परिभाषित डीलर है। इस व्याख्या से व्यथित, राज्य ने उपरोक्त निर्णय के खिलाफ अपील की। कई अन्य सिविल, रिट याचिकाओं के साथ लेटर्स पेटेंट अपील कुछ समय के लिए लंबित रही और बाद में 8 दिसंबर, 1971 को डिवीजन बेंच द्वारा पंजाब राज्य में रिपोर्ट किए गए फैसले द्वारा निपटा दी गई। **पंजाब राज्य और अन्य बनाम आर्यावर्त इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड**। अपील और संबंधित रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान ही हरियाणा सरकार ने डीलर की परिभाषा में आवश्यक संशोधन करते हुए हरियाणा अध्यादेश संख्या > द्वारा "वास्तव में उपभोग के उद्देश्य से दिए गए भौतिक शब्दों" को हटा दिया। 26 मई, 1971 को 26 मई, 1971 को 2 9 71 को 2 9 71 को 2 बार ऐसा किया गया। एडवोकेट जनरल के अनुसार, यह अस्पष्टता को दूर करने और कानून में सामने आई कमी को भरने और **उषा कॉटन जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री के मामले** (सुप्रा) में अदालत द्वारा किए गए निर्माण को पूरा करने के लिए किया गया था, जिसके तहत निर्यात किए गए सामान और जिन्ड कपास को कर के दायरे से बाहर कर दिया गया था। फिर 1 अगस्त, 1971 के हरियाणा सरकार के राजपत्र (असाधारण) में, 1971 के पंजाब सामान्य बिक्री कर (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश संख्या 2 को तदनुसूची अधिनियम में परिवर्तित करते समय, उद्देश्यों और कारणों के विवरण ने स्पष्ट रूप से इसे प्रख्यापित करने में विधायिका की मंशा को इंगित किया, जो निम्नानुसार है: -

"उपाय को लागू करने के लिए कुछ परिणामी संशोधन भी लाए गए थे- 'डीलर' शब्द की परिभाषा को भी हाल ही में न्यायिक घोषणाओं के मद्देनजर अप-टू-डेट बनाने के लिए संशोधित किया गया है, जिसमें यह माना गया है कि 'डीलर' बनने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति वास्तव में उपभोग के उद्देश्य से माल वितरित करे। यह विधेयक उक्त अध्यादेश को अधिनियम में बदलने का प्रयास करता है।

श्री मोहनता ने ठीक ही तर्क दिया है कि उद्देश्यों और कारणों में उल्लिखित न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में **उषा कॉटन जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री का मामला** (सुप्रा) और स्पष्ट रूप से कपास के संबंध में अन्य सिविल रिटों के लंबित होने का उल्लेख शामिल है।

13 यह ध्यान देने योग्य है कि **उषा कॉटन जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्री के मामले** (सुप्रा) के खिलाफ पत्र पेटेंट अपील के साथ-साथ जिन्ड कपास के संबंध में कई अन्य संबंधित रिट याचिकाओं में समान बिंदुओं पर आर्यावर्त इंडस्ट्रीज मामले (सुप्रा) में लेटर्स पेटेंट बेंच द्वारा फैसला किया गया था। इसने **उषा कॉटन जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री के मामले** (सुप्रा) में इस दृष्टिकोण को बरकरार रखा और इसे आगे बढ़ाते हुए कहा कि राज्य के भीतर कपास की जिनिंग भी इसे कर के दायरे में नहीं लाती है। उस फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि तत्कालीन मौजूदा बिक्री कर कानून में क्या अस्पष्टताएं थीं और इसके संबंध में न्यायिक निर्णयों का टकराव और प्रवाह था। इस संदर्भ में श्री मोहनता द्वारा **अनवरखान महबूह कंपनी बनाम बॉम्बे राज्य (अब महाराष्ट्र) और अन्य**,⁶ के मामले में उच्चतम न्यायालय के पूर्व के निर्णय

⁴ 1970 पी.एल.आर., 929

⁵ 30 बिक्री कर मामले 200

⁶ 11 बिक्री कर मामले 698

का पुन उल्लेख किया गया है। जिसमें इसे निम्नानुसार मनाया गया था: -

"ऊपर उल्लिखित कपास के उदाहरण पर लौटते हुए, यह मानना उचित होगा कि जब कच्चे कपास को राज्य ए में वितरित किया जाता है, तो इसे राज्य ए में खपत के लिए वितरित किया जाता है; जब जिन्ड कपास को राज्य बी में धागे में काता जाने के लिए वितरित किया जाता है, तो इसे राज्य बी में खपत के लिए वितरित किया जाता है; जब बेनी के लिए राज्य C में धागा वितरित किया जाता है; उस राज्य में कपड़े में बुना जाता है, इसे राज्य सी में खपत के लिए वितरित किया जाता है; जब बुने हुए कपड़े को राज्य डी में वितरित किया जाता है ताकि उस राज्य में दर्जी द्वारा परिधान पहनने के लिए बनाया जा सके, तो खपत के लिए कपड़े की डिलीवरी राज्य डी है; और अंत में जब परिधान पहनने को राज्य ई में पोशाक के रूप में बेचा जाता है, तो यह राज्य ई में खपत के लिए परिधान पहनने की डिलीवरी है।

वकील ने प्रस्तुत किया कि इन टिप्पणियों के आधार पर, जिन्ड कपास के कर योग्य होने का मुद्दा अभी भी राजस्व के पक्ष में है। तथापि, 1971 की सिविल रिट याचिका संख्या 547 में, जिस पर 30 नवम्बर, 1972 को निर्णय लिया गया था, शर्मा, जे. ने उक्त निर्णय का उल्लेख करने के बाद यह राय दी कि जिनिंग राज्य के भीतर उपभोग नहीं है और प्राधिकारियों के टकराव का उल्लेख करने के बाद *उषा कॉटन जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री के मामले* (सुप्रा) और *आर्यावर्त इंडस्ट्रीज के मामले* का अनुसरण किया। (सुप्रा) और जिनिंग को कर के दायरे से बाहर नहीं माना गया। हरियाणा के महाधिवक्ता का तर्क है कि *उषा कॉटन जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री के मामले* (सुप्रा) और *आर्यावर्त इंडस्ट्रीज मामले* (सुप्रा) में उपरोक्त निर्णय के साथ-साथ कई अन्य लोगों ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया था, जिसके कारण डीलर की परिभाषा को पूर्वावलोकन देने के लिए राज्य सरकार के निर्णय की आवश्यकता थी, जिसे हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 2 (सी) में अधिनियमित किया गया था। 1973- यह धारा 1, उप-धारा (3), मद 1 के आधार पर किया गया था। विद्वान वकील ने विधेयक को पुरस्थापित करने के चरण में उद्देश्यों और कारणों के संक्षिप्त विवरण की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जो निम्नलिखित शब्दों में है: -

उन्होंने कहा, 'पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 के कामकाज के अनुभव ने कुछ कमियों और अपर्याप्तताओं को प्रकाश में लाया है। इसके अलावा, समय-समय पर मूल अधिनियम में कई संशोधन शामिल किए गए थे और करदाताओं द्वारा मौजूदा अधिनियम के प्रावधानों को समझने, व्याख्या करने और लागू करने में बड़ी कठिनाई महसूस की जा रही है।

श्री मोहंता ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत परिभाषा लाने और फिर मकड़जाल को दूर करने के लिए इसे पुनरावलोकन देने के लिए कमियां और अपर्याप्तता और अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या और उन्हें लागू करने में कठिनाइयां प्रेरक कारण थीं। वकील का रुख यह था कि इस बिंदु पर कई उदाहरणों में स्पष्ट रूप से "शामिल" 1971 की सिविल रिट याचिका संख्या 547 में लिया गया दृष्टिकोण था और साथ ही अन्य फैसले भी उसी दृष्टिकोण को लेते थे, जिसे पूरा करना विधायिका का इरादा था और आवश्यक मामलों में इसे रद्द करना था।

14. अब उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो मुझे यहां यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि धारा 2 (सी) में डीलर की परिभाषा को दिया गया आवश्यक कानून और पुनरावलोकन फिर से प्रभावी बनाने और यह स्पष्ट करने का एक प्रयास था कि विधायिका के अनुसार, वस्तुओं पर कर लगाने में उसका वास्तविक इरादा क्या था, जिसे वह निस्संदेह करने का हकदार था। इसलिए, कानून का उद्देश्य कानून में अस्पष्टता और इसके प्रावधानों की व्याख्या करने में अधिकारियों के कुछ

बिड़ला कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड आदि बनाम
हरियाणा राज्य आदि (एस एस संधावालिया, सीजे)

संघर्ष द्वारा पैदा किए गए संदेहों को दूर करना था, और उन कमियों को दूर करना था, जिनके तहत वस्तुएं, जो विधायिका के अनुसार बिक्री कर या खरीद कर के लिए उत्तरदायी थीं, उक्त व्याख्या के कारण नेट से बच गई थीं। एक बार ऐसा हो जाने के बाद, यह स्पष्ट रूप से प्रशंसनीय और सही प्रतीत होता है कि पूर्ववलोकन मुख्य रूप से विधायिका की नजर में व्याख्या द्वारा कानून में पैदा की गई अस्पष्टता को दूर करने और खामियों को दूर करने और उस कमी को दूर करने के लिए दिया गया था, जिसने इसके अनुसार, माल की कर योग्य वस्तुओं को राजस्व शुल्क से बचने की अनुमति दी थी। इन परिसरों में, धारा 2 (सी) में डीलर की परिभाषा का पूर्वव्यापी संचालन "छोटी मरम्मत" के नियम के भीतर है और इस प्रकार समान रूप से संवैधानिकता के दायरे में है, यहां तक कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों के आधार पर भी- इस आधार पर, पहली बार में, मैं इसकी संवैधानिकता को बनाए रखने के लिए मजबूर हूं।

15. फिर भी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता भी समान रूप से दृढ़ हैं कि पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ कर की पूरी तरह से नई वसूली भी है। यह भी पूरी तरह से विधायिका की क्षमता के भीतर है। इसके लिए मुख्य रूप से **आंध्र प्रदेश सरकार बनाम हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड** पर निर्भरता है।), और विशेष रूप से, **हीरा लाल रतन लाल बनाम बिक्री कर अधिकारी, अनुभाग III, कानपुर और अन्य⁸ में रिपोर्ट किए गए सुप्रीम कोर्ट के दो निर्णयों पर**। और **जिला भंडार नियंत्रक, उत्तर रेलवे, जोधपुर v. सहायक वाणिज्यिक कराधान अधिकारी**,⁹ इन निर्णयों को संयुक्त रूप से पढ़ने से मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि बाध्यकारी दृष्टांतों में यह निर्धारित किया गया है कि एक विधायिका जो संभावना में कर लगाने में सक्षम है, वह पीछे मुड़कर देखने पर इसे लगाने में समान रूप से सक्षम है। ऐसा होने पर, एक बार जब याचिकाकर्ताओं की ओर से यह स्वीकार कर लिया जाता है, जैसा कि यह बहुत ही निष्पक्ष रूप से किया गया था, कि हरियाणा विधानमंडल डीलर की परिभाषा को भावी प्रभाव से संशोधित करने के लिए सक्षम था, तो यह एक शर्त का पालन करता है कि वह पूर्वव्यापी रूप से समान क्षमता के साथ ऐसा कर सकता है। **हीरा लाई रतन लाई के मामले (सुप्रा)** का उल्लेख करते समय, यह ध्यान देने योग्य है कि यह एक बड़ी पीठ द्वारा तय किया गया था जिसमें सभी तीन माननीय न्यायाधीश शामिल थे, जिन्होंने पहले 5 सितंबर 1972 को कृष्णमूर्ति मामले (सुप्रा) में राय दी थी। तथापि, **हीरा लाई रतन लाई के मामले (सुप्रा)** में निर्णय 3 अक्टूबर, 1972 को इसके तुरंत बाद दिया गया था और जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, सभी विद्वान न्यायाधीशों सहित एक बड़ी पीठ द्वारा इसका गठन किया गया था। **हीरा लाई रतन लाई के मामले (सुप्रा)** में उनके प्रभुत्व स्पष्ट रूप से पहले के मामले में अवधि और अनुपात के बारे में अच्छी तरह से जानते थे।

16 **हीरा रतन लाल के मामले (सुप्रा)** में यह स्पष्ट रूप से देखा गया था कि प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती स्पष्ट रूप से इस आधार पर थी कि पूर्वव्यापी कानून द्वारा कोई नया कर नहीं लगाया जा सकता है। भाषा में इस तरह के विवाद को खारिज करना जो हमें वर्गीकृत प्रतीत होता है और किसी भी दो निर्माणों में सक्षम नहीं है पीठ की ओर से बोलते हुए हेगड़े, जे. ने यह निर्णय इस प्रकार दिया:-

"वस्तुओं पर बिक्री या खरीद कर लगाने की विधायी शक्ति का स्रोत संविधान की सूची II की प्रविष्टि 54 है- यह अच्छी तरह से तय है कि संवैधानिक प्रतिबंधों के अधीन कानून बनाने की शक्ति में भावी प्रभाव से और साथ ही पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की शक्ति शामिल है। इस संबंध में, कर लगाने की विधायी शक्ति में पूर्वव्यापी रूप से कर लगाने की शक्ति भी शामिल

⁷ ए.आई.आर. 1975 एस.सी. 2037

⁸ 31 एस.टी.सी. 178

⁹ 37 बिक्री कर मामले 423

है। भारत संघ बनाम *मदन गोपाल काबरा*¹⁰, एम.पी. *कुंदरमियर एंड कंपनी बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य और अन्य*,¹¹ जे। के. *जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य*,¹²; *छोटाभाई जेठाभाई पटेल एंड कंपनी बनाम भारत संघ और अन्य*,¹³ और *श्री रामकृष्ण और अन्य बनाम बिहार राज्य*,¹⁴ अंतिम उल्लिखित मामले में यह विशेष रूप से निर्णय लिया गया था कि जहां विधायिका एक वैध कानून बना सकती है, वह न केवल उक्त कानून के भौतिक प्रावधानों के संभावित संचालन के लिए प्रावधान कर सकती है, बल्कि यह उक्त प्रावधानों के पूर्वव्यापी संचालन के लिए भी प्रावधान कर सकती है।

और फिर संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (एफ) और (जी) के उल्लंघन के आधार पर चुनौती को दूर करने में, यह निम्नानुसार देखा गया था: -

“यह दिखाने का एक कमजोर प्रयास किया गया कि अधिनियम के तहत की गई पूर्वव्यापी लेवी अनुच्छेद 19 I (1) (एफ) और (जी) का उल्लंघन है। लेकिन हमें इस विवाद में कोई दम नजर नहीं आता। जैसा कि पहले देखा गया है, अधिनियम में संशोधन इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि विधायिका मुख्य अधिनियम में प्रसंस्कृत या विभाजित दालों को अविभाजित या असंसाधित दालों से अलग करने के अपने इरादे को स्पष्ट रूप से सामने लाने में विफल रही थी। इसके अलावा पूर्वव्यापी संशोधन आवश्यक हो गया क्योंकि अन्यथा राज्य को बड़ी रकम वापस करनी होगी। यह तर्क कि पूर्वव्यापी लेवी ने डीलरों को उपभोक्ताओं को देय कर को पारित करने का कोई अवसर नहीं दिया, बहुत अधिक वैधता नहीं है। “कर डीलर पर लगाया जाता है; तथ्य यह है कि उसे उपभोक्ताओं को कर देने की अनुमति है या वह आम तौर पर उपभोक्ता को देने की स्थिति में है, जब हम विधायी क्षमता पर विचार करते हैं तो इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

17 मेरा मानना है कि उपरोक्त टिप्पणियां स्पष्ट हैं और इसके बारे में विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है।

18 इस तथ्य से कोई फायदा नहीं है कि *बंगाल पेपर मिल मामले* (सुप्रा) में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ की टिप्पणियां याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए श्री सिब्बल के तर्क का समर्थन करती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उपरोक्त सुप्रीम कोर्ट के मामलों में उनके प्रभुत्व का अनुपात और निष्कर्ष, जहां तक इस न्यायालय का संबंध है, वे स्पष्ट और अंतिम हैं जो हमारे लिए उनके द्वारा निर्धारित नियम से विचलित होने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं, भले ही हमने कुछ और सोचा हो।

19 यह ध्यान देने योग्य है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने *बंगाल पेपर मिल के मामले* (सुप्रा) में पश्चिम बंगाल अधिनियम में शामिल “व्यवसाय” की परिभाषा के पूर्वव्यापी संचालन को रद्द कर दिया, जिसके तहत इसमें लाभ के उद्देश्य को समाप्त कर दिया गया था। हालांकि, लगभग इसी तरह की स्थिति में, सुप्रीम कोर्ट के उनके प्रभुत्व में है। डिस्ट्रिक्ट

¹⁰ (1954) 25 आई.टी.आर. 53 (एस.सी.)

¹¹ (1958) 9 एस.टी.सी. 298 (एस.सी.)

¹² (1961) 12 एस.टी.सी. 429 (एस.सी.)

¹³ (1962) 2 एस.सी.आर. 1

¹⁴ (1963) 50 एलटीआर 171 (एस.सी.)

बिड़ला कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड आदि बनाम
हरियाणा राज्य आदि (एस एस संधावालिया, सीजे)

कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स केस (सुप्रा) ने राजस्थान सेल्सी टैक्स एक्ट, 1954 की धारा 2 में 'बिजनेस' शब्द की परिभाषा के पूर्वव्यापी प्रभाव को बरकरार रखा है। राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप ने "व्यवसाय" की संशोधित परिभाषा की पुनरावलोकन को चुनौती को खारिज कर दिया, जो निम्नानुसार है: -

"इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि विधायिका संशोधन अधिनियम द्वारा पेश की गई 'कार्य' की परिभाषा को पूर्वव्यापी प्रभाव देने के लिए सक्षम थी।

यह स्पष्ट है कि उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के पास कलकत्ता मामले में दी गई प्रत्यक्ष विपरीत राय के रूप में मुझे जो प्रतीत होता है, उससे असहमति जताने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

20 अंत में, इस संदर्भ में उठाए गए तर्क का एक हिस्सा यह था कि यदि पूर्वव्यापी संचालन की अवधि एक छोटी थी, तो इसे शायद माफ कर दिया जा सकता है और संवैधानिकता की गुंजाइश को पारित किया जा सकता है, लेकिन अगर यह असाधारण रूप से लंबा था, तो यह मुख्य रूप से इसकी लंबाई के कारण असंवैधानिकता के दोष से ग्रस्त होगा। कृष्णमूर्ति के मामले (सुप्रा) में पारित टिप्पणी के आधार पर इसका समर्थन करने की मांग की गई थी, जबकि उनके लॉर्डशिप विशेष कानून को चुनौती के तहत देख रहे थे। मुझे लगता है कि यह मामला फिर से *जिला भंडार नियंत्रक*, उत्तर रेलवे, जोधपुर के मामले (सुप्रा) द्वारा समाप्त किया गया प्रतीत होता है। राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 में परिभाषा को संशोधित किया गया था और 1965 में 11 साल से अधिक की अवधि के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, उनके लॉर्डशिप ने मुद्दों को इतना स्पष्ट और चुनौती से परे माना कि इसके खिलाफ सभी तर्कों को सरसरी तौर पर दरकिनार कर दिया जाए। यदि एक दशक से अधिक समय तक पीछे मुड़कर देखना, जैसा कि उस मामले में कहा गया था, किसी भी असंवैधानिक बुराई से मुक्त थी, तो कोई यह देखने में विफल रहता है कि यह वर्तमान मामले में भी कैसे हो सकता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए सभी तर्कों को खारिज कर दिया गया है, रिट याचिकाओं का यह सेट खारिज किया जाता है। हालांकि, पार्टियां अपनी लागत खुद वहन करेंगी।

21 पारित करते हुए, यह उल्लेख किया जा सकता है कि इनमें से कुछ रिट याचिकाओं में प्रासंगिक मूल्यांकन आदेशों को रद्द करने की भी मांग की गई थी। जाहिर है, उक्त आदेशों के खिलाफ, अपील, संशोधन और संदर्भ के माध्यम से वैधानिक उपाय याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध है और परिणामस्वरूप उन्हें उसी में डाल दिया जाना चाहिए। यदि संविधान (42 वां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 58 के प्रावधान याचिकाकर्ताओं में से किसी एक के मामले से आकर्षित होते हैं, तो वह स्पष्ट रूप से उक्त उपाय को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

रजत अरोड़ा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी